


## जन सूचना

पी.एम. स्वनिधि योजना के तहत ऋण को दो भागों में जारी किया है, पहला रू. 10,000/- का एवं दूसरा रू. 20,000/-।

सभी आवेदक/वेंडर (संख्या 92) जो कि रू. 10,000/- का ऋण पहले भाग के रूप में प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे ऋण के दूसरे भाग यानि रू. 20,000/- के हकदार हैं। इच्छुक वेंडरस/आवेदकों से अनुरोध है कि ऋण के दूसरे भाग की राशि प्राप्त करने के लिए दिनांक 10.06.2022 तक इस कार्यालय को सूचित करें तथा दूसरे भाग के ऋण की प्रोसेसिंग हेतु संबंधित बैंक शाखा से अवश्य सम्पर्क करें।

  
सदस्य सचिव  
टाउन वेंडिंग कमेटी  
दिल्ली छावनी परिषद

क्रम सं. दि.छा.परि./07/एलसी/टीवीसी/  
कार्यालय दिल्ली छावनी परिषद,  
दिल्ली छावनी-110010

दिनांक : 02 जून, 2022

प्रतिलिपि:-

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय दिल्ली छावनी परिषद
2. लाईब्ररी, सदर बाज़ार, दिल्ली छावनी
3. समस्त सी.बी. स्कूल
4. website दिल्ली छावनी परिषद